



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2021—कार्तिक 4, शक 1943

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2021-1091.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति ने उक्त धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

1. धारा 25 (1) (तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्तिः—

1. डॉ. डी. बी. भगत,  
102, मंगलम रेसिडेंसी,  
22/ए, / 3 मनोरमांगज,  
इंदौर—452001
2. डॉ. नितिन गुप्ता,  
ए-3, मेघदूत डॉ. पी. डी. के. वी. कॉलोनी,  
नियर एस. बी. आई. कॉलोनी, कृषि नगर,  
अकोला महाराष्ट्र 444001

2. अधिनियम की धारा 25 (1) (चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषकः—

1. श्री अभय महाजन,  
दीनदयाल शोध संस्थान,  
चित्रकूट, सतना (म. प्र.)  
मो. नं. 9685116000

2. श्री ओम ठाकुर,  
बरघाट रोड,  
सिवनी (म. प्र.)  
मो. नं. 9407111313

3. अधिनियम की धारा 25 ( 1 ) ( पांच ) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता:—

सुश्री शोभा पैथनकर,  
2/5, साऊथ हरसिंही,  
इन्दौर  
मो. नं. 9425059896

4. अधिनियम की धारा 25 ( 1 ) ( छ: ) के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक:—

डॉ. जी. जी. बारले,  
सनफलावर विला—10,  
सुख सागर वेली,  
जबलपुर.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.